"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 जनवरी 2013—पौष 11, शक 1934

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-04/01/2010/14-2/06.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 (क्र. 19 सन् 1960) की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंध के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. 2223/2385/चौदह-1 भोपाल, दिनांक 05-06-1964 द्वारा, रायपुर जिले के बलौदाबाजार तहसील के अंतर्गत तत्कालीन गिरदावर आरक्षक सर्किल बलौदाबाजार, लवन तथा पलारी के समस्त ग्रामों को मण्डी क्षेत्र के रूप में समाविष्ट करते हुए, बलौदाबाजार में मण्डी विनियमित की गई.

और यत:, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (दो) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने भाटापारा के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र (जो कि इस अधिसूचना के अनूसूची-दो में उल्लिखित है) में से पलारी तहसील के 24 ग्रामों को अपवर्जित करते हुए तथा बलौदाबाजार मण्डी के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र (जो कि इस अधिसूचना के अनुसूची-एक में उल्लिखित है) में इन्हें सम्मिलित करते हुए, इसके आशय को संसूचित किया है, इस प्रकार से बलौदाबाजार जिले के समस्त वनग्रामों सहित, बलौदाबाजार तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्र (जो कि इस अधिसूचना के अनुसूची-तीन में उल्लिखित है) को समाविष्ट किया जा रहा है.

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 71 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से रायपुर जिले के बलौदाबाजार मण्डी के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में से भाटापारा तहसील के तीन ग्रामों को अपवर्जित किया जाये तथा उन्हें भाटापारा मण्डी के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाये और रायपुर जिले (वर्तमान बलौदाबाजर) के भाटापारा मण्डी के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में से पलारी तहसील के 24 ग्रामों को अपवर्जित करते हुए, बलौदाबाजार मण्डी के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के साथ सम्मिलित किया जाये, इस प्रकार से बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सम्पूर्ण वनग्रामों सहित भाटापारा एवं पलारी तहसील के समस्त क्षेत्र को समाविष्ट किया जा रहा है.

Raipur, the 1st January 2013

NOTIFICATION

No. F -04/01/2010/14-2/06.—The State Government vide Notification No. 2223/2385/XIV-1, Bhopal, dated 05-06-1964, issued under the provision of sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), regulated the market at Balodabazar, having market area comprising of all villages of the then Girdavar Inspector circle of Balodabazar, Lavan and Palari under Balodabazar Tahsil of Raipur District.

And whereas, by issuance of Notification No. 2471/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 30th June, 2011, the State Government, by exercising the powers conferred under clause (ii) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its intention by excluding the 24 villages of Palari Tahsil therefrom the Notified present market area of Bhatapara (as metioned in Schedule-Two of this Notification) and including the same with presently notified market area of Balodabazar Mandi (as metioned in Schedule-One of this Notification), thus comprising of compelet area of Tahsil Balodabazar (as mentioned in Schedule-Three of this Notification), inclusive of all forest villages of Balodabazar District.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 71 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, directs that with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette, the three villages of Bhatapara Tahsil shall be excluded therefrom the notified present market area of Balodabazar Mandi of Raipur District and they shall be included with presently notified market area of Bhatapara Mandi and excluded 24 villages of Palari Tahsil therefrom the notified present market area of Bhatapara Mandi of Raipur District (presently Balodabazar) shall be included with presently notified market area of Balodabazar Mandi, thus comprising of complete area of Tahsil Bhatapara and Palari inclusive of all forest villages of Balodabazar-Bhatapara District.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.